न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प0न0 – 59/2018
25/2020

उनवान : –

1. मखनसिंह पुत्र विचित्रसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील त0 टिब्बी।
2. तरविन्द्रसिंह पुत्र मखनसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील त0 टिब्बी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. जीतसिह पुत्र गुरबक्शसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील त0 टिब्बी ।
2. बलवीरकौर पत्नी जीतसिंह जाति जटसिख निवासी तलवाड़ाझील त0 टिब्बी।
3. सबरजिस्ट्रार एवं उपपंजीयक तलवाडाझील त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
212 आरटीए

उपस्थिति :– अब्दुल सतार जोईया अधि0 प्रार्थीगण
जेपी शर्मा अधि0 अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए बउनवानी मखनसिंह आदि बनाम जीतसिंह प्र0सं0 59/2018 तथा बउनवानी जीतसिंह आदि बनाम मखनसिंह प्रकरण सं0 25/2020 में वर्णित विवादित भूमि एवं पक्षकारान एकसमान होने के साथ–साथ वाद कारण भी एकसमान होने के कारण पश्चवर्ती प्रार्थना पत्र जीतसिंह आदि बनाम मखनसिंह आदि को पूर्ववर्ती प्रार्थना पत्र मखनसिंह आदि बनाम जीतसिंह आदि के साथ समेकित कर एक साथ निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थना पत्रों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 टीएल डबल्यू के प0न0 229/295 मु0 9 किलानं0 6 से 7, 14 से 15 की कुल 1.012 है0, प0न0 230/295 मु0 10 किलानं0 2 से 3 /0.506, 6 से 18/3.289 है0 कुल 4.807 है0 में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2072 से 75 के प्रार्थीसं० 1 का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीसं0 3 तथा प्रार्थीसं0 2 के नाम 1 /2 हिस्सा दिनांक 5.10.2016 तक दर्ज रिकार्ड थी। उपरोक्त भूमि के खाता में अंकित कुल भूमि 4.807है0 से प्रतिवादीसं0 3 के नाम से 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज रिकार्ड खातेदारी थी प्रतिवादीसं0 3 ने अपनी भूमि का 1/4 हिस्सा (1.202) माह अक्टूबर 2016 संदीपसिह पुत्र वकीलसिह निवासी टिब्बी को विक्रय कर दी। तत्पचात संदीपसिह ने प्रतिवादीसं0 3 से खरीद शुदा भूमि 1/4 हिस्सा से 0.759 है०. अप्रार्थी सं० 1 को तथा 0.253 है० हिस्सा अप्रार्थी सं० 2 को विक्रय कर दी तथा 0.190 हिस्सा भूमि संदीपसिह ने पुनः प्रतिवादी सं0 3 को विक्रय कर दी। विक्रय के पश्चात वर्तमान मे अप्रार्थी सं0 1 के नाम 0.759 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 के नाम से 0.253 वा प्रतिवादी सं0 3 के नाम 0.190 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड हुई। चकनं0 2 टीएल डबल्यू के खाता सं0 49 प0न0 229 /295 मु0 9 किला नं0 6 से 7,14 से 15/1.012, प0न0 230/295 मु0 10 किला नं0 2 से 3/0.506, 6 से 18/3.289 है0 कुल 4.807 है0 खातेदारी भूमि में वादीसं० 1 के नाम से 2.403 है0 वादी सं0 2 के नाम 1.202 तथा प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 0.759 हे0 व प्रतिवादी सं0 2 के नाम से 0.253 है0 प्रतिवादीसं0 3 के नाम 0.190 है भूमि खातेदारी दर्ज है। चक 2 टीएल डबल्यू की कुल भूमि 4.807 है0 में प्रतिवादीसं0 3 द्वारा उसका हिस्सा 1/4 विक्रय करने से पूर्व दिनांक 20.06.2009 में प्रार्थीगण एंव प्रतिवादीसं0 3 के मध्य भूमि का घरू विभाजन हो चुका था । उक्त घरू बटवारा की लिखत अनुसार विभाजन में प्रतिवादीसं0 3 भूपेन्द्रसिह को चकनं0 2 टीएल डबल्यू के प0न0 229/295 मु0 9 किला न0 6 से 7,14 से 15/1. 012 है0, प0न0 230/295 मु0 10 किला नं० 11/202 कुल 1.214 तथा प्रार्थीसं० 2 तरविन्द्रसिह का चक 2 टीएलडबल्यू 230/295 मु0 10 किलानं0 8 से 9/506, 10/202, 14 से 15/506 कुल 1.214 है0 भूमि प्रार्थी सं0 1 ने बटवारा मे दी तथा प्रार्थी सं0 1 ने इस चक की भूमि में से 2.379 है0 भूमि अपने नाम से रखी। इसी

Scanned with CamScanner

तक काबिज चले आ रहे है वा प्रार्थीगण आज तक अपनी बटवारा शुदा भूमि पर निरन्तर दिनांक 5.10.16 तक काबिज चले आ रहे है । बटवारा अनुसार मिली भूमि में मखनसिह प्रार्थी को मिली भूमि प०न० 230/295 मु0 10 किलानं0 2 से 3/506, 6 से 7/506, 12 से 13/506, 16 से 18/.759, 10/.051, 11/.051 पर प्रार्थीसं0 1 का कब्जा है वा प्रार्थीसं० 1 ने किलानं0 16 में रिहायशी ढाणी बनाकर आबाद है तथा इसी प्रकार प्रार्थी सं० 1 की किलानं0 16/.101 भूमि में भूपेन्द्रसिह आबाद है तथा किलानं0 15 में प्रार्थी सं0 2 की ढाणी आबाद है । अप्रार्थीसं० 1 से 2 ने संयुक्त खाता में प्रतिवादी सं0 3 संदीपसिह द्वारा क्रयशुदा को संदीप सिह से उसका 1ध4 हिस्सा भूमि खरीद की है। इसलिए अप्रार्थीसं० 1 से 2 प्रार्थीगण की भूमि एंव अप्रार्थीगण की भूमि संयुक्त रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रतिवादीसं0 3 के हिस्सा की भूमि अप्रार्थीगण सं0 1 से 2 द्वारा खरीदने से अप्रार्थीगण सं0 1 से 2 समस्त भूमि खाता के प्रति स्ट्रेन्जर है तथा अप्रार्थी सं0 1 से 2 विक्रयनामा के आधार पर अपना हक वा कब्जा खरीदशुदा भूमि का केवल कानूनी प्रक्रिया के तहद बटवारानामा वाद पेश कर ही डिक्री विभाजन के आधार पर ही कब्जा प्राप्त कर सकते है। जबरदस्ती समस्त भूमि 4.807 है0 के किसी भी भाग पर कब्जा करने के अधिकारी कानूनन नही है वा विक्रय पत्र के आधार पर खरीदशुदा भूमि का खाता विभाजन करवाये बिना समस्त भूमि या किसी भाग पर कब्जा में दखल देने के अधिकारी नही है । अप्रार्थीसं0 1 से 2 जबरदस्त व्यक्ति है वा झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है तथा वे प्रार्थीगण को धमकी दे रहे है कि वो जबरस्ती प्रार्थीगण के कब्जा शुदा भूमि में जबरदस्ती घुसकर कब्जा करेगे अगर बिना खाता विभाजन कराये जबरदस्ती भूमि में घुसकर अप्रार्थीसं0 1 से 2 ने प्रार्थीगण के कब्जा शुदा भूमि पर कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को अपरिमेय क्षति होगी व कभी न पूरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थीगण डिक्री अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण प्राप्ती के अधिकारी है कि अप्रार्थीगण सं० 1 से 2 प्रार्थीगण की कब्जा शदा भमि पर कब्जा करने से निषेद्व रहे । अप्रार्थीगण सं0 1 से 2 ने प्रतिवादीसं0 3 के 1/4 हिस्सा की भूमि संदीपसिह क्रेता से प्रतिवादी सं0 3 को मुताबिक घरू बटवारा दिनांक 20.06.05 मिली भूमि खरीद की है वा अप्रार्थीगण सं0 1 से 2 चक 2 टी एल डबल्यू के प0न0 229 /295 मु0 9 किला न0 6 से 7, 14 से 15/1.012, प0न0 230 /295 मु0 10 किलानं0 11 /0. 202 भूमि पर काबिज है लेकिन वे जबरदस्ती प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा ताकत के बल पर करना चाहते है । प्रार्थीगण की बटवारा अनुसार मिली भूमि का खाता अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 3 के साथ संयुक्त नही रखना चाहते है क्योकि हमेशा रिकार्ड में खाता संयुक्त रहने से प्रार्थीगण के साथ रकम राज दाखिल करने व काश्त के समय सीमा का विवाद रहता है। इसलिए प्रार्थीगण मुताबिक घरू बटवारा दिनांक 20.06.2009 के कब्जाशुदा आराजी का खाता अलग अलग करवाकर रकम राज पृथक अपनी अपनी भूमि की कायम करवाने की डिक्री प्राप्ती के अधिकारी है । प्रार्थीगण मुताबिक घरू बटवारा दिनांक 20.06.09 के अनसार अपनी भूमि पर काबिज है, ढाणी बनाकर आबाद है भूमि उनके नाम खाता मे दर्ज है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा जबरदस्ती अगर अप्रार्थीगण स0 1 से 2 ने कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी व मुकदमें बाजी में वृद्धि होगी । इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है । स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावे कि अप्रार्थीगण सं0 1 से 2, प्रार्थी सं0 1 मखनसिह की भूमि चक 2 टीएल डबल्यू प0न0 230/295 मु0 10 किलानं0 2 से 3/0.506, 6 से 7/0.506,12 से 13/ .506, 16 से 18/.759, 10/.051 11/.051 है० व प्रार्थी सं0 2 तरविन्द्रसिह की भूमि चक 2 टीएल डबल्यू के प0न0 230/295 मु0 10 किला नं0 8 से 9 /0. 506, 10/.202, 14 से 15 /0.506, कुल 1.214 है० प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की आराजी में किसी प्रकार से दखलन्दाजी करने से ताफैसला दावा ममनू व बाज रहे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र बउनवानी जीतसिंह आदि बनाम मखनसिंह प्र0सं0 25/2020 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र मखनसिंह आदि बनाम जीतसिंह दफा 1 में प्रार्थन पत्र माननीय

Scanned with CamScanner

न्यायालय में प्रस्तुत होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के
थ प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया काबिल खारीजी के है । प्रार्थना पत्र की
का 5 में दर्ज तथ्य कतई गलत, असत्य व मनघढ़त दर्ज किये गये है, स्वीकार नही ।
र्थीगण व प्रतिवादी सं0 3 के बीच हुए आपस में घरू बटवारा में प्रतिवादी सं0 3
पेन्द्रसिह को चक 2 टीएल डबल्यू के प0न0 230/295 मु0 10 किलानं0 13, 14/.
90. 16, 17, 18 कुल 1.202 है0 आराजी प्राप्त हुई थी जो प्रतिवादी सं0 3 भूपेन्द्रसिह
माह अक्टूबर 2016 में संदीपसिह पुत्र वकीलसिह जाति जटसिख निवासी टिब्बी को
तई बैय व फरोख्त कर दी तत्पश्चात संदीप सिह ने खरीद की हुई आराजी में से 0.
59 है0 आराजी मुझ अप्रार्थी जीतसिह को तथा 0.253 है0 आराजी मुझ अप्रार्थीया
लदीरकौर को कतई बैय व फरोख्त कर प0न0 230/295 मु० 10 किलानं0
3,16,17,18 कुल 1.012 है0 आराजी का कब्जा हम अप्रार्थीगण को सुपुर्द कर दिया था।
जिस पर अप्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे लेकिन दावा दायरी के
बाद हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की 1.012 है0 आराजी पर प्रार्थीगण ने जबरदस्ती
कब्जा कर लिया तथा संयुक्त खाता की आराजी में से प०न० 229/295 मु0 9 किला
नम्बर 6, 7, 14, 15 की आराजी हम अप्रार्थीगण के लिए छोड़ दी, दौराने वाद हम
अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान ना हो इसलिए हम अप्रार्थीगण ने चक
2 टीएल डबल्यू प0न0 229/295 मु0 9 किलानं0 6, 7, 14, 15 कुल 1.012 है0 आराजी
पर काश्त करनी शुरू कर दी । उक्त प्रार्थनापत्र की दफा 6 मे दर्ज तथ्य कतई गलत,
असत्य व मनघढ़त दर्ज किये गये है, स्वीकार नही। प्रार्थीगण ने दफा हाजा में घरू
बटवारां के मुताबिक भूमि दर्ज नही की है। प्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण द्वारा खरीद
करने के पश्चात अप्रार्थीगण को कब्जा में मिली आराजी का जानबुझकर गलत विवरण
दिया है जो स्वीकार नही है । प्रार्थनापत्र की दफा 7 में दर्ज तथ्य कि अप्रार्थीगण सं० 1
व 2 खाता में संदीपसिह द्वारा क्रयशुदा तथा संदीपसिह से उसके 1/4 हिस्सा भूमि
खरीद की है, का कथन कतई गलत दर्ज किया है। हम अप्रार्थीगण ने संदीपसिह से
1/4 हिस्सा की बजाय 1.012 है0 आराजी ही खरीद की थी । दफा हाजा में दर्ज तथ्य
कि अप्रार्थीगण सं0 1 से 2 प्रार्थीगण की भूमि किसी भाग पर कब्जा में दखल देने के
अधिकारी नही है, का कथन कतई गलत, असत्य व मनघढ़त दर्ज किया गया है,
स्वीकार नही तथा प्रार्थीगण का यह कथन भी कि अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 झगडालू व वे
प्रार्थीगण को धमकी दे रहे है कि वो जबरदस्ती प्रार्थीगण जबरदस्त व्यक्ति है तथा के
कब्जा शुदा भूमि में जबरदस्ती घुसकर कब्जा करेगे, का कथन भी कतई गलत,
आधारहीन व मनघढ़त दर्ज किया गया है, स्वीकार नही । प्रार्थीगण ने दफा 8 मे संयुक्त
खाता की भूमि में 1.012 है0 आराजी पर हम अप्रार्थीगण का कब्जा होने का कथन
स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कथन कि अप्रार्थीगण सं0 1 व 2
समस्त भूमि के खाता के प्रति स्ट्रेजर है का कथन अपने आप में ही विरोधाभाष पैदा
करता है। प्रार्थीगण हम अप्रार्थीगण के खिलाफ किसी प्रकार का कोई शाश्वत व्यादेश
प्राप्त करने के अधिकारी नही है । प्रार्थना पत्र की दफा 8 में दर्ज तथ्य कि अप्रार्थीगण
सं० 1 व 2 ने अप्रार्थी सं० 3 को मुताबिक घरू बटवारां दिनांक 20.06.2009 में मिली
भूमि खरीद की है, का कथन गलत होने के कारण स्वीकार नही । हम अप्रार्थीगण ने
संयुक्त खाता की आराजी में 1.012 है0 आराजी खरीद कर वरवक्त खरीद प0न0 230
/295 मु0 10 किलानं0 13, 16, 17, 18 कुल 1.012 है0 आराजी का कब्जा प्राप्त किया
था लेकिन दौराने दावा प्रार्थीगण ने दफा हाजा में वर्णित हम अप्रार्थीगण के कब्जा की
आराजी पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया तथा हम अप्रार्थीगण की काश्त के लिए प0न0
229/295 मु0 9 किला नं0 6,7,14,15 कुल 1.012 है० आराजी छोड़ दी चूँकि प्रार्थीगण
द्वारा छोड़ी गई आराजी में आने जाने के लिए रास्ते की सुविधा नही है। इसलिए
अप्रार्थीगण ने हम अप्रार्थीगण को तंग परेशान करने व हम अप्रार्थीगण को अपनी खरीद
की हुई अराजी से महरूम करने तथा आर्थिक नुकसान पहुँचाने की गर्ज से दफा हाजा
वर्णित आराजी काश्त के लिए छोड़ी हुई थी जिस पर अप्रार्थीगण काबिज रहकर
काश्त करते चले आ रहे है । प्रार्थना पत्र की दफा 9 में दर्ज तथ्य कतई गलत, असत्य
व मनघड़त दर्ज किये गये है, स्वीकार नही । प्रार्थीगण मुताबिक घरू बटवारा 20.06.
2009 के खाता विभाजन करवाने के कतई अधिकारी नही है। मुकदमा में वर्णित संयुक्त
खाता की आराजी में से हम अप्रार्थीगण द्वारा खरीद की गई आराजी प0न0 230/295

Scanned with CamScanner

मु0 10 किला नं0 13, 16, 17, 18 की आराजी का प्रार्थीगण खाता अपने नाम से अलग से कायम करवाने के कतई अधिकारी नही है। विकल्प मे प्रार्थीगण प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच रास्ता खाला की सहूलियत को मध्य नजर रखते हुए तथा बोर्ड रूल 18 से 21 की पालना करते हुए संयुक्त खाता की आराजी का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थना पत्र की दफा 10 में दर्ज तथ्य कतई गलत, असत्य व मनघढत दर्ज किये गये है, स्वीकार नही । प्रार्थनापत्र में वर्णित संयुक्त खाता की आराजी में अप्रार्थी सहकाश्तकार के रुप में दर्ज है तथा प्रार्थीगण के दावा के मुताबिक भी हम अप्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की आराजी पर काबिज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह कथन कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो प्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी व मुकदमें बाजी में वृद्वि होगी, इसलिए सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होने, का कथन भी गलत होने के कारण स्वीकार नही। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनो बिन्दू हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है । अतः जवाब अन्तर्गत धारा 212 आर०टी०ए० मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाय जाकर हम अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जीतसिह आदि बनाम् मखनसिह आदि स्वीकार की जाकर इस आशय का स्थगन आदेश जारी किया जावे कि प्रार्थीगण मखनसिह आदि ताफैसला दावा हम अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त प0न0 229/295 मु0 9 किलानं0 6, 7, 14, 15 की अराजी में आने जाने (प्रवेश करने) के लिए चक 2 टी. एल. डबल्यू के प0न0 230 /295 मु.0 10 किलानं0 6 ता 15 के किसी भू-भाग से आवागमन करने में अवरोध अथवा बाधा उत्पन्न न करे । अधिवक्ता अप्रार्थी ने जीतसिंह आदि की ओर से बहस के समर्थन में शांतिदेवी आदि बनाम हंसराज आदि अपील सं0 1668 आरआरडी 2019 पेज 677 न्यायायिक दृष्टांत पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावलीयों व प्रस्तुत दस्तावेजों एवं न्यायायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्रों में वर्णित आराजी संयुक्त खाता की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण रिकोर्डेड खातेदार है। उभयपक्ष के खाता विभाजन हेतु वाद न्यायालय हाजा में जैरकार है। जिसमें साक्ष्य सबूतों के आधार पर कब्जा काश्त एवं खाता विभाजन के बिन्दू का निर्धारण होना है। खाता विभाजन उपरांत ही संयुक्त खाता की भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हिस्सा में रास्ता-खाला आदि का अंकन होना है। चूंकि उभयपक्ष वर्णित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से दोनों के पक्ष में साबित है। हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष को इस आशय से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है कि विवादित भूमि के खाता विभाजन तक वे एक-दूसरे के कब्जा काश्त में दखलदांजी न करें एवं उभयपक्ष के कब्जा काश्त में प्रवेश के लिए रास्ता के रूप में उपयोग में आ रही भूमि को अवरोधित ना करें।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र बउनवानी मखनसिंह आदि बनाम जीतसिंह प्र0सं0 59/2018 तथा बउनवानी जीतसिंह आदि बनाम मखनसिंह प्रकरण सं0 25/2020 अन्तर्गत धारा 212 आरटीए आंशिक स्वीकार की जाती है एवं प्रार्थना पत्रों में वर्णित उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि 2 टीएलडब्लयू के खाता सं0 34/49 के प0न0 229/295, 230/295 में वर्णित कुल 4.807है0 में ताफैसला वाद उभयपक्ष मौका की यथास्थिति बनायें रखे एव एक दूसरे के कब्जा काश्त में दखलदाजी न करें तथा कब्जा काश्त में रास्ता के रूप में उपयोग में आ रही भूमि को अवरोधित ना करे।

निर्णय आज दिनांक 28/5/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड सहायक कलेक्टर
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner